अधिसूचना  
नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015  
सं 0 9/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क  

साकानित। (अ)।-- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 0 6/2005-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, साकानित लि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, लिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--  

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पथात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--  

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;1क&quot;</td>
<td>2202 10</td>
<td>जल, जिसके अंतर्गत खनिज जल और वातित जल भी है, जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण दृष्टि या सुरचिकारक है</td>
<td>शूल्य&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार  

dिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में सं. साकानित। 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में साकानित। 359(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 23/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 2012 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।